गणेश शंकर विद्यार्थी सभागार हेतु किराया दरें

स्थान	क्षमता	समय प्रतिपाली	शुल्क	प्रतिभूति राशि (कार्यक्रम उपरांत वापसी योग्य)
गणेश शंकर विद्यार्थी सभागार	800	प्रात: 9 से 3 बजे तक	30,000/-+ GST 18% विद्युत प्रभार रू. 2,000/- एवं साफ-सफाई राशि रू 1,000/-	10,000/-
		सायं 4.30 से 10.30 बजे तक	30,000/-+ GST 18% विद्युत प्रभार रू. 2,000/- एवं साफ-सफाई राशि रू1,000/-	10,000/-
		पूरा दिवस	50,000/-+ GST 18% विद्युत प्रभार रू. 3,000/- एवं साफ-सफाई राशि रू1,5 00/-	25,000/-
गणेश शंकर विद्यार्थी सभागार में फिल्म टीवी शो, वेब सीरीज एवं सीरियल की शूटिंग हेतु	800	24 घंटे के लिए	80,000/- + GST 18% विद्युत प्रभार रू. 4,000/- एवं साफ-सफाई राशि रू 2,000/-	50,000/-
		3 दिवस के लिए	2,00,000/-+ GST 18% विद्युत प्रभार रू. 10,000/- एवं साफ-सफाई राशि रू 5 ,000/-	1,00,000/-
		7 दिवस के लिए	4,00,000/-+ GST 18% विद्युत प्रभार रू. 20,000/- एवं साफ-सफाई राशि रू10,000/-	1,00,000/-
		15 दिवस के लिए	6,00,000/- + GST 18% विद्युत प्रभार रू. 30,000/- एवं साफ-सफाई राशि रू15,000/-	1,00,000/-
		एक माह के लिए	12,00,000/- + GST 18% विद्युत प्रभार रू. 50,000/- एवं साफ-सफाई राशि रू 30,000/-	1,00,000/-

गणेश शंकर विद्यार्थी सभागार के पीछे स्थित
तानसेन मुक्ताकाश मंच

स्थान	क्षमता	समय प्रतिपाली	शुल्क	प्रतिभूति राशि (कार्यक्रम उपरांत वापसी योग्य)
गणेश शंकर विद्यार्थी सभागार के पीछे स्थित तानसेन मुक्ताकाश मंच (लाइट एवं साउंड सिस्टम के बिना)	**450**	**प्रतिपाली 9.00 बजे 3.00 बजे**	6,000/- + GST 18% विद्युत व्यय रू. 2000/- साफ - सफाई राशि रू 1,000/- प्रतिपाली	**10,000/-**
		सायं 4.30 बजे से 10.30 बजे		
गणेश शंकर विद्यार्थी सभागार के पीछे स्थित तानसेन मुक्ताकाश मंच (लाइट एवं साउंड सिस्टम सहित)	**450**	**प्रतिपाली 9.00 बजे 3.00 बजे**	8,000/- + GST 18% विद्युत व्यय रू. 2000/- साफ-सफाई राशि रू 1,000/- प्रतिपाली	**10,000/-**
		सायं 4.30 बजे से 10.30 बजे		
गणेश शंकर विद्यार्थी सभागार के पीछे स्थित तानसेन मुक्ताकाश मंच (बिना लाइट एवं साउंड सिस्टम के)	**450**	**पूरे दिन के लिए**	10,000/ + GST 18% विद्युत व्यय रू. 2000/- साफ-सफाई राशि रू 1,000/-	**10,000/-**
गणेश शंकर विद्यार्थी सभागार के पीछे स्थित तानसेन मुक्ताकाश मंच (लाइट एवं साउंड सिस्टम सहित)	**450**	**पूरे दिन के लिए**	12,000/ + GST 18% विद्युत व्यय रू. 2000/- साफ-सफाई राशि रू 1,000/-	**10,000/-**

सभागार/बैठक कक्ष हेतु आरक्षण शर्तें

(अ) आरक्षण के लिए आवेदन

1. आरक्षण के लिए आवेदन विहित प्रारूप में आयोजक द्वारा **कुलसचिव, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय** को कार्यक्रम की निर्धारित तारीख से कम-से-कम **15 दिवस** पूर्व तथा अधिकतम 30 दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा ।
2. आवेदन के साथ विहित शुल्क की राशि एवं प्रतिभूति राशि अग्रिम जमा करनी होगी।

3. शासकीय तथा अन्य संगठनों के आयोजक होने की दशा में उनके प्राधिकृत अधिकारी के आवेदन पर हस्ताक्षर होंगे।
4. यदि किसी कार्यक्रम के आयोजन के लिए जिला कलेक्टर अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति आवश्यक है तो आरक्षण आवेदन के साथ ही साथ ऐसी पूर्वानुमति की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

<u>(ब)</u> आरक्षण के लिए स्वीकृती

कुलसचिव माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविधालय द्वारा आवेदन की अग्रता क्रम तथा आयोजित होने वाले कार्यक्रम के महत्व को ध्यान में रखते हुए परिसर की उपलब्धता के आधार पर आरक्षण की स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी।

(स) आरक्षण शर्ते

1. विश्वविधालय की ओर से हाल/सभागार में डायस पर स्थापित माईक तथा अन्य उपकरण के अलावा अलग से कोई उपकरण प्रदाय नहीं किये जावेंगे।
2. विश्वविधालय द्वारा निर्धारित किये गये मीनू एवं दरों पर केटरिंग की व्यवस्था के लिए कैंटीन ठेकेदार से संपर्क करें। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मीनू के अलावा अन्य यदि कोई मीनू तय किया जाता है तो उसकी दरें कैंटीन ठेकेदार एवं संबंधित द्वारा स्वयं निर्धारित की जायेगी।
3. गणेश शंकर विद्यार्थी सभागार में किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री ले जाना पूर्णत: वर्जित है।
5. हाल/सभागार में उपलब्ध फर्नीचर जिस स्थिति में रखा था उसी स्थिति में सुपुर्द करना होगा, किसी प्रकार की डेमेज एवं खराबी आने पर डेमेज जार्च संबंधित संस्था से वसूला जायेगा।
6. निर्धारित किराया शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय संस्थाओ, निगम, मण्डलों सभी के लिए देय होगा। शासकीय/सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी समान किराया देय होगा।
7. विश्वविधालय द्वारा निर्धारित सुरक्षा निधि नियमानुसार जमा करनी होगी।
8. विश्वविधालय परिसर में किसी भी स्थान पर धूम्रपान एवं मद्यपान पूर्णत: वर्जित है।
9. जलपान/चाय का प्रबंध हाल के अंदर कतई नहीं किया जायेगा।
10. हाल के अंदर या बाहरी दीवारों पर पोस्टर आदि चिपकाना मना है।
11. विश्वविधालय एक शैक्षणिक संस्थान है, इसलिए परिसर में किसी प्रकार के झंडे, स्वागत द्वार आदि लगाना मना होगा।
12. कार्यक्रम के दौरान सभी प्रकार का अनुशासन बनाये रखने का दायित्व अनिवार्य रूप से आयोजक का होगा उपलब्ध कराये गये हाल/सभागार में केवल फ्लावर डेकोरेशन किया जा सकेगा, अन्य किसी प्रकार का डेकोरेशन नहीं किया जावेगा। परिसर मुख्य भवन में कोई कील आदि नहीं ठोकी जायेगी न ही कोई अन्य परिवर्तन किया जायेगा।
13. सभागार/हाल के आरक्षण आदेश जारी होने के चौबीस घंटे के भीतर निर्धारित किराया विभाग / संस्था द्वारा जमा करना होगा।
14. आयोजन के संबंध में सभी प्रकार के शासकीय करों का भुगतान आयोजक द्वारा किया जायेगा।
15. सभागार आरक्षण के लिए जमा की गई प्रतिभूति राशि आयोजन के उपरांत पन्द्रह दिवस के भीतर वापस की जा सकेगी।
16. सभागार/ सभाकक्षों /बैठक कक्षों के लिए आरक्षित समय से अधिक समय लगने पर अतिरिक्त समय हेतु आरक्षण शुल्क निर्धारित राशि के अनुपात में प्रति घंटे की दर से लिया जायेगा।

(द) <u>आरक्षण के लिए निबंधन तथा शर्ते:-</u>

1. हाल/सभागार के आरक्षण के पश्चात किसी कारण सेमिनार / कार्यशाला / कार्यक्रम विभाग / संस्था द्वारा निरस्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जमा किराया राशि में से निरस्तीरण शुल्क के रूप में निम्नानुसार राशि कटौत्रा की जावेगी:-

1.	कार्यक्रम की निर्धारित तारीख के 15 दिवस पूर्व निरस्तीरण हेतु आवेदन करने पर	आरक्षण शुल्क का 20 प्रतिशत
2.	कार्यक्रम की निर्धारित तारीख के एक सप्ताह पूर्व निरस्तीरण हेतु आवेदन करने पर	आरक्षण शुल्क का 40 प्रतिशत
3.	कार्यक्रम की निर्धारित तारीख के तीन दिवस पूर्व निरस्तीरण हेतु आवेदन करने पर	आरक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत
4.	उपरोक्त से कम दिवस में	कोई शुल्क वापसी नहीं होगी

2. आरक्षण शुल्क वापसी के प्रत्येक आवेदन कुलसचिव, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, को सम्बोधित किए जाएंगे।

3. यदि किसी आयोजन हेतु किसी संस्था ने पूर्व से निर्धारित आयोजन तिथि पर सभागार आरक्षित कर लिया है और किन्ही कारणों से उक्त आयोजन की तिथियों में परिवर्तन होता है, तो परिवर्तित आयोजन तिथि पर सभागार उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की नहीं होगी परन्तु यदि उक्त तिथि पर सभागार उपलब्ध है तो विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जा सकेगा, अन्यथा निरस्तीकरण नियमानुसार निर्धारित राशि की वापसी की जाएगी।

(ई) **<u>आरक्षण शुल्क में रियायत/शुल्क मुक्ति</u>**

1. कतिपय परिस्थितियों में आरक्षण शुल्क एवं अन्य शर्तों में रियायत / शुल्क मुक्ति देने के लिए सक्षम प्राधिकृत अधिकारी माननीय कुलपति होंगे।

2. आरक्षण शुल्क एवं अन्य शर्तों में रियायत/ शुल्क मुक्ति हेतु प्रत्येक आवेदन माननीय कुलपति को प्रस्तुत किया जाएगा, जो स्वविवेक से शुल्क में रियायत/ शुल्क मुक्ति की अनुमति प्रदान करेंगे।

3. किन्ही परिस्थितियों में आरक्षण को रद्द करने का अधिकार माननीय कुलपति को होगा ।

4. आरक्षण के संबंध में कोई विवाद होने पर कुलपति, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, द्वारा लिया गया निर्णय सभी पक्षकारों पर विधिमान्य और बंधनकारी होगा।

5. विश्वविद्यालय, के स्वयं के आयोजन पर कोई शुल्क प्रभारित नहीं होगा।

आरक्षण के लिए निर्धारित प्रपत्र

प्रति,

कुलसचिव,
माखनलाल चतुर्वेदी
राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय,
भोपाल

कृपया माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, के गणेश शंकर विद्यार्थी सभागार / 120 सीटर सभागार (अकादिमक भवन)..................................विभाग / 110 सीटर सभागार (प्रशासनिक भवन) 50 सीटर बैठक कक्ष (अकादमिक भवन) .... विभाग को दिनांक…………… को समय.............................. के लिए आरक्षित कीजिये। आरक्षित अवधि में ही केवल आरक्षित स्थल का उपयोग किया जावेगा। संस्था द्वारा किराये की राशि रूपये.................................. प्रतिभूति राशि रूपये................ नगद/ आनलॉइन/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जा रही है। सभागृह परिसर में कहीं भी व्यवसायिक विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किये जायेंगे।

1. संस्था का नाम एवं पूरा पता ....
   ....
   ....
2. संस्था का पंजीयन क्रमांक ....
3. कार्यक्रम का स्वरूप (संक्षिप्त ब्यौरा) ....

....
....

4. कार्यक्रम का समय ....

<u>अभिकथन</u>

गणेश शंकर विद्यार्थी सभागार / 120 सीटर सभागार (अकादिमक भवन) / 110 सीटर सभागार (प्रशासनिक भवन) / 50 सीटर बैठक कक्ष (अकादमिक भवन) के आरक्षण नियम के सभी प्रावधान पढ़ लिए हैं और संस्था को मान्य हैं । नियमानुसार विद्युत शुल्क एवं साफ-सफाई हेतु निर्धारित देयता हमें मान्य है। कार्यक्रम अवधि में किसी प्रकार के टूट-फूट के हर्जाने के लिए हमारी संस्था उत्तरदायी होगी, जिसका कटौत्रा प्रतिभूति राशि से किया जा सकेगा, इसके लिए सहमति है। शुल्क छूट/ निःशुल्क के प्रकरणों में विद्युत एवं अन्य सभी निर्धारित प्रभार / शुल्क दिये जायेंगे। निःशुल्क के प्रकरण में जितने प्रतिशत किराया राशि निःशुल्क मान्य की जावेगी तदनुसार शेष राशि एवं प्रतिभूति राशि कार्यक्रम के पूर्व जमा कर दी जावेगी। कार्यक्रम आयोजन दिनांक तक निःशुल्क का अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी से अप्राप्त रहने पर पूरी राशि जमा कर दी जावेगी। बाद में यदि निःशुल्क बावत सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होंगे, तो भुगतान का समायोजन तदनुसार होगा। कार्यक्रम की अनुमति जिला कलेक्टर, भोपाल कार्यालय से प्राप्त कर समय पूर्व में जमा कर दी जावेगी। निरस्तीकरण के प्रकरण में कटौत्रा पश्चात शेष किराया राशि की वापसी पन्द्रह दिन में संभव होगी। प्रतिभूति की वापसी योग्य राशि भी 7 से 15 दिवस के भीतर आयोजक द्वारा कार्यालय से प्राप्त कर लिया जावेगा।

भोपाल, दिनांक.........................

हस्ताक्षर...................................
संस्था /प्रभारी का नाम............................
संस्था का पता.......................................

फोन (का.)……………………(नि) ....

(कार्यालयीन उपयोग के लिए)

मैंने संस्था से संबंधित जानकारी / विवरण का परीक्षण कर लिया है, वांछित तिथि एवं समय पर के गणेश शंकर विद्यार्थी सभागार / 120 सीटर सभागार (अकादिमक भवन)....................................विभाग / 110 सीटर सभागार (प्रशासनिक भवन) 50 सीटर बैठक कक्ष (अकादमिक भवन)...विभाग रिक्त है, आरक्षण की अनुशंसा की जाती है।

कुलसचिव
मा.च.रा.प.एवं सं. वि.वि.

वित्त अधिकारी

संस्था से आरक्षण शुल्क रूपये ....रसीद क्रमांक....................दिनांक............................एवं जीएसटी राशि रूपये................................मात्र रसीद क्रमांक.........................दिनांक....................द्वारा करा लिए गए हैं ।

कैशियर

वचन-पत्र

गणेश शंकर विद्यार्थी सभागार को आरक्षित करने के पूर्व जिला प्रशासन / पुलिस प्रशासन से अनुमति प्राप्त करने बावत कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट , जिला भोपाल म.प्र. के पत्र क्रं. 17/अजिद/2010 भोपाल दिनांक 7.1.2011 का अवलोकन किया गया।

उपयुर्क्त के संबंध में वचन दिया जाता है कि ....दिनांक...................को हमारे कार्यक्रम के लिए आरक्षण एवं शुल्क जमा करने के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं विवरण कलेक्टर, भोपाल तथा पुलिस अधीक्षक, भोपाल को हमारे द्वारा प्रस्तुत किया जाकर अनुमति प्राप्त करने के उपरांत कुलसचिव, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय कार्यालय में दी जावेगी। हमारी संस्था सहमत है कि यदि सहमति/अनुमति प्राप्त नहीं होती है, तो उपर्युक्त आरक्षण स्वयं निरस्त हो जावेगा तथा कार्यक्रम नहीं किया जावेगा। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

....
....
....

आरक्षण प्रक्रिया

(अ) बुकिंग हेतु प्रपत्र एवं संस्था के लेटरहेड पर कार्यक्रम की सम्पूर्ण जानकारी देते हुए आरक्षण-पत्र

1. संस्था का नाम
2. पता
3. अधिकृत व्यक्ति का नाम एवं पद
4. मोबाइल/दूरभाष नम्बर
5. कार्यक्रम की जानकारी
6. कार्यक्रम तिथि
7. संस्था का पंजीयन/जीएसटी क्रं. (अगर है तो)
8. कार्यक्रम का समय एवं पाली
9. आरक्षित स्थान
10. तकनीकी सामग्री की जानकारी
11. साउंड संबंधी जानकारी
12. लाइट संबंधी जानकारी
13. अन्य सामग्री की जानकारी

(ब) संस्था को प्राप्त पुलिस अनुमति पत्र एवं एसडीएम को सूचनार्थ पत्र की प्रतिलिपि

1. पुलिस अनुमति-पुलिस उपायुक्त, सुरक्षा एवं सूचना, नगरीय पुलिस भोपाल
2. एसडीएम कार्यालय कोतवाली को सूचनार्थ।

उपरोक्त प्रकिया होने के उपरांत कार्यालय द्वारा शुल्क भुगतान (आरक्षण राशि , जीएसटी एवं प्रतिभूति राशि) जमा करने की सूचना प्रदान की जाएगी।

(स) शुल्क भुगतान

1. आरक्षण शुल्क
2. जीएसटी एवं प्रतिभूति राशि